छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा एकादश सत्र अंक-04

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021
(श्रावण 7, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-21 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार थाना मुलमुला, जिला-जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे, पिता-श्री राजाराम नोरंगे, निवासी नरियरा की हुई मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन,

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18,

(5) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 तथा

(6) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-64/ खाद्य/ 2009/ 29-1, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21,

पटल पर रखे ।

4. सदन को सूचना

"उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए चयनित "उत्कृष्ट विधायक", "उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" एवं "उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर" को पुरस्कृत करने हेतु "उत्कृष्टता अलंकरण समारोह"

माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में विधान सभा परिसर स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 को दोपहर 01.30 बजे से आयोजित किया गया है । समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

5.पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचना अग्राह्य कर दी गई है ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

7.बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(1) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य ने प्रदेश में पेंशनरों के प्रकरणों के निराकरण में होने वाले विलंब की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(2) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य ने बिलासपुर जिले की बिल्हा तहसील के धौराभाठा अंतर्गत खसरा नम्बर 599 के भू-स्वामी को मुआवजा वितरण नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री धरमलाल कौशिक, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री पुन्नूलाल मोहले सदस्य ने प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान का उठाव नहीं होने की ओर खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

9.बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने डॉ. भीमराम अम्बेडकर हॉस्पिटल रायपुर "मेकाहारा" में गरीब मरीजों की फ्री एंजियोप्लास्टी बंद होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

11. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री लालजीत सिंह राठिया

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) श्री धरमलाल कौशिक

(4) श्री रजनीश कुमार सिंह

(5) श्री दलेश्वर साहू

12. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय विधेयक क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक - 05 सन् 2021)	श्री बृजमोहन अग्रवाल	05 मिनट

अशासकीय संकल्प क्रं.	**सदस्य का नाम**	**समय**
1. (क्रमांक - 02)	श्री शिवरतन शर्मा	01 घंटा
2. (क्रमांक - 03)	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	25 मिनट
3. (क्रमांक - 04)	श्री अजय चन्द्राकर	01 घंटा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अरूण वोरा, सभापति, याचिका समिति, ने याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021)

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री देवव्रत सिंह, शैलेष पाण्डेय,

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021)

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पर विचार किया जाये एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021)

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधेयक के विचार पर आपत्ति की कि यह विधेयक संविधान के विरूध है, नियम कानून बानाने के विरूध है इसमें ऐसे प्रावधान किये गये हैं जो हमारे मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों का होता है जिसके माध्यम से सी.आर.पी.सी., आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है, इसलिये इस विधेयक पर विचार नहीं होना चाहिये ।

सभापति महोदय ने कथन किया कि विधेयक पर किसी भी प्रकार की आपत्ति को मान्य नहीं किया जा रहा है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ. रमन सिंह,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, बृजमोहन अग्रवाल, देवव्रत सिंह, डॉ. विनय जायसवाल, श्री शिवरतन शर्मा, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सर्वश्री सौरभ सिंह, देवेन्द्र यादव, अरूण वोरा, पुन्नूलाल मोहले,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने।

सभापति महोदय ने सूचित किया कि विधेयक के खंड 12 में संशोधन है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधेयक के खंड-12 के उपखंड (1) में संशोधन प्रस्तुत किया कि "कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व, चंदूलाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के नियोजन में जिस स्थिति में था, वह चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अधिग्रहण के पश्चात् भी उसी स्थिति में नियोजित माना जायेगा । " तथा

विधेयक के खंड-12 के उपखंड (3) के पश्चात् स्पष्टीकरण को स्थापित किया जाये, जो इस प्रकार है :-

"स्पष्टीकरण- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के पूर्व स्वामियों द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा । " तत्पश्चात् संक्षिप्त भाषण दिया ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

संशोधन पर मत विभाजन हुआ ।

प्रस्ताव के पक्ष में 16 एवं प्रस्ताव के विपक्ष में 56 मत पड़े ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 12 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय ने सूचित किया कि विधेयक के खंड 13 में संशोधन है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने विधेयक के खंड 13 में संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक के खंड 13 की अंतिम पंक्ति में शब्द "कार्यवाही नहीं होगी" के स्थान पर "कार्यवाही की जा सकेगी " स्थापित किया जाये । तत्पश्चात् संक्षिप्त भाषण दिया ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 14 से 16 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

15.बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा विधेयक के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

16. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए आई) (ग्रामीण व शहरी) का कार्य धीमी गति से चलने के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्य सूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की गई ।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री संतराम नेताम,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री शिवरतन शर्मा, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री पुन्नूलाल मोहले,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रामकुमार यादव,

श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(2) प्रदेश की हसदेव एवं मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के वनों में कोयला खनन की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

रात्रि 07.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 (श्रावण-8, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा